राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर

प्रेस–नोट

क्रमांक : एफ.6( )विविध / परीक्षा 'घ' / व0अ0 (माशि) / काउंसलिंग / 2022 /   दिनांक : 13.09.2023

आयोग द्वारा वरिष्ठ अध्यापक–माध्यमिक शिक्षा, प्रतियोगी परीक्षा–2022 **विषय–हिन्दी** के अभ्यर्थियों की पात्रता की जांच हेतु आयोग द्वारा विचारित सूची क्रमशः दिनांक 11.09.2023 को जारी कर दी गई हैं। विचारित सूची में सम्मिलित अभ्यर्थियों के विस्तृत आवेदन पत्रों की जांच काउंसलिंग के माध्यम से **राजस्थान लोक सेवा आयोग, घूघरा घाटी, अजमेर कार्यालय परिसर** में दिनांक 26.09.2023 से आयोजित की जावेगी। पात्रता जांच उपरान्त पात्र पाये गये अभ्यर्थियों का आयोग द्वारा अन्तिम परिणाम जारी किया जावेगा। काउंसलिंग कार्यक्रम, विस्तृत आवेदन पत्रों के संबंध में आवश्यक दिशा–निर्देश, काउंसलिंग पत्र व अन्य प्रपत्रादि आयोग की वेबसाईट http://rpsc.rajasthan.gov.in पर जारी किये जा रहे हैं, जिन्हें अभ्यर्थी संबंधित विषय की काउंसलिंग दिनांक से पूर्व आयोग की वेबसाईट से डाउनलोड कर **काउंसलिंग कार्यक्रम के अनुसार** भरे हुए विस्तृत आवेदन पत्र की दो प्रतियों मय स्वप्रमाणित दस्तावेजों की एक प्रति व मूल दस्तावेजों के साथ **निर्धारित दिनांक व समय पर अभ्यर्थी व्यक्तिशः काउंसलिंग हेतु उपस्थित होवें।**

काउंसलिंग का कार्यक्रम विषयवार / दिनांकवार निम्नानुसार हैः–

क्र. स.	पद का विषय	Shift	परिणाम (विचारित–सूची) में सफल अभ्यर्थियों के रोल नम्बर		काउन्सलिंग की दिनांक	अभ्यर्थियों की संख्या	कुल अभ्यर्थियों की संख्या
1	हिन्दी	M	1500018	1506142	26.09.2023	75	2529(NTSP) 247 (TSP)
		E	1506229	1546365		225	
		M	1546529	1582317	27.09.2023	225	
		E	1582363	1609427		225	
		M	1609445	1636599	29.09.2023	225	
		E	1636603	1677505		225	
		M	1677526	1703316	03.10.2023	225	
		E	1703644	1735262		225	
		M	1735284	1778404	04.10.2023	225	
		E	1778438	1800247		225	
		M	1800250	1836246	05.10.2023	225	
		E	1836337	1878406		225	
		M	1878429	1911357	06.10.2023	226	

आयोग द्वारा आयोजित उक्त कांउन्सलिंग हेतु अभ्यर्थियों को आयोग द्वारा पृथक से कोई ऑफलाईन पत्र प्रेषित नहीं किया जायेगा। साथ ही यह भी निर्देशित किया जाता है कि अभ्यर्थी आयोग द्वारा अपलोड किये गये 02 पात्रता प्रपत्रों व काउन्सलिंग–पत्र के साथ अभ्यर्थियों के आवश्यक दिशा–निर्देशों को डाउनलोड कर उनका ध्यानपूर्वक अध्ययन करते हुए दिशा–निर्देशों की पालना सुनिश्चित करें।

काउंसलिंग हेतु अभ्यर्थी निर्धारित समय से 30 मिनट पूर्व काउंसलिंग स्थल पर उपस्थित होवें। काउंसलिंग मे अनुपस्थित रहे अभ्यर्थी अन्तिम परिणाम में विचारित नहीं किए जाऐंगे, जिसकी जिम्मेदारी स्वयं अभ्यर्थी की होगी। काउन्सलिंग में शामिल अभ्यर्थियों को आयोग द्वारा कोई यात्रा भत्ता / दैनिक भत्ता देय नहीं होगा।

(रामनिवास मेहता)
सचिव